न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 10 / 2022

हजारीराम पुत्र श्री रतिराम, उम्र 75 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी कुठानियां, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, (राज0)।

–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिंघाना ,तहसील बुहाना,जिला झुन्झुनू (राज0)।

–रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय 17.01.2022 न्यायालय नायब तहसीलदार
सिंघाना मुकदमा उनवानी सरकार बनाम हजारीराम
अं0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट मुकदमा नंबर 258 / 2021

उपस्थितिः–

1 .श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट –– –––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।

2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता ––––– राज0 सरकार की ओर से ।

–निर्णय– दिनांक 31.5.24

पत्रावली पेश हुई। उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.01.2022 मुकदमा नंबर 258 / 2021 बमुकदमा उनवानी सरकार, बनाम हजारीराम अं0 धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि – " पटवारी हल्का मोई सद्दा ने एक रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की कि ग्राम कुठानियां की राजकीय भूमि गैर मुमकिन नाला के खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर में से रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि पर अतिकमी हजारीराम ने पश्चातवृति मौके पर काश्त चना [illegible] कर लिया है। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर धारा 91 [illegible] आर० एक्ट का नोटिस जारी किया गया जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.12.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा गैर सायल की ओर से दिनांक 21.12.2021 जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक की साक्ष्य हेतु पेशी नियत की गई । दिनांक 27.12.2021 को भू–अभिलेख निरीक्षक के बयानात लिये गये पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 30.12.2021 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 17.1.2022 को प्रार्थी अपीलांट को बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया तथा अपने निर्णय में यह पारित किया कि गैर सायल हजारीराम द्वारा कुठानिया स्थित भूमि खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै.मु. नाला की 0.0400 हैक्टर भूमि पर तारबन्दी (कब्जा चना काश्त) लगाकर पश्चातवृति अतिक्रमण किये जाने एवं आदतन अतिचारी की श्रेणी में पाये जाने के फलस्वरूप राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली दिये गये तथा आदतन अतिचारी मानते हुये 3 माह की कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है तथा हल्का पटवारी को मौके से खड़ी फसल को कुर्क कर कब्जे राज ली जाकर निलामी कार्यवाही की जाने तथा मौके से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश आदि जारी किये गये जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का पी0 ओ0 अपीलांट से पूर्व से ही द्वैषता रख रहा था और जानबूझकर बिना मौके की रिपोर्ट एवं भौतिक सत्यापन के ही उक्त औलौच्य निर्णय पारित कर दिया । दिनांक 27.12.2021 को भू–अभिलेख निरीक्षक के बयान लेखबद्ध किया जाना अंकित किया है जबकि उक्त गवाह से न तो जिरह की गई है ना ही ऐसा अंकन है कि प्रार्थी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और उसने जिरह करने से इन्कार किया हो। न्यायालय द्वारा ना ही उनकी उपस्थिति में बयान लेखबद्ध किये गये और ना ही जिरह का अवसर प्रदान किया गया, एकतरफा बयान के आधार पर निर्णय पारित किया गया है तथा समस्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धात के विपरीत जाकर द्वैषता पूर्ण की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.12.2021 के लिए जो नोटिस जारी किया गया था वह नोटिस धारा 91 भू. राजस्व अधिनियम के तहत जारी किया गया था जबकि निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रार्थी अपीलांट को धारा [illegible] के तहत पश्चातवृति अतिक्रमी का नोटिस जारी किया है।इससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर अपीलांट के विरूद्ध उक्त कार्यवाही रिकॉर्ड के विपरित जाकर की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में कार्यवाही पटवारी हल्का की मौके की भौतिक रिपोर्ट के अनुसार नही की गई है ना ही पटवारी हल्का ने मौके की भौतिक रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। मौके पर अपीलांट का गै.मु0 नाला की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में अपना जवाब प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट ने अपने जवाब नोटिस में यह स्वीकारोक्ति नहीं दी कि फसल कटने के पश्चात तारबन्दी हटा लेगा क्योंकि मौके पर अपीलांट के द्वारा गै.मु0 नाला भूमि पर कोई अतिक्रमण कर तारबंदी नहीं की गई है और ना ही उक्त भूमि पर फसल काश्त की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने भौतिक रिपोर्ट के बिना एवं बिना मौके की जांच किये ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना का निर्णय दिनांक 17.1.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि–" पटवारी हल्का मोई सद्‌दा की रिपोर्ट दिनंक 29.11.2021 के आधार पर नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा दिनांक 30.11.2021 को पश्चातवर्ती अतिक्रमी की रिपोर्ट पर ग्राम कुठानियां के भूमि खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै.मु. नाला में से 0.0400 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा काश्त चना तारबंदी करके अतिक्रमण कर लिया गया। इस बाबत नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा प्रकरर्ण दर्ज कर धारा 91 के तहत दिनांक 21.12.2021 के लिए नोटिस जारी किया गया। जबकि अपीलांट को धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दिनांक 16.12.2021 को पेश होने का नोटिस दिया गया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2021 [illegible]का में पूर्व में आगामी पेशी 21.12.2021 नियत की थी। अपीलान्ट दिनांक 16.12[illegible] को न्यायालय में उपस्थित रहा तब अपीलान्ट से आदेशिका पर दो जगह हस्ताक्षर करवाये गये, उसके पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

उक्त दिनांक 21.12.2021 के स्थान पर दिनांक 16.12.2021 नियत की थी। उक्त तारीख पेशी बदलने बाबत आदेशिका में पीठासीन अधिकारी के कोई लघु हस्ताक्षर नहीं है। पुनः दिनांक 21.12.2021 को प्रार्थी अपीलांट न्यायालय में उपस्थित रहा, अपना जवाब नोटिस पेश किया। अपीलांट ने बिना आदेशिका लिखे ही हस्ताक्षर करवाये गये और बताया गया कि आगे कोई कार्यवाही होगी तो सूचना दे दी जायेगी। अथवा 1–2 दिन में न्यायालय में आकर पता कर लेना। इस प्रकार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व उसके मातहत कर्मचारियों ने आदेशिका पर बिना लिखे हस्ताक्षर करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए प्रार्थी /अपीलांट को धारा 91 (3–क) भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी नहीं किया गया। इसलिए कानूनी प्रोविजन के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवृति अतिक्रमण के लिए भू–राजस्व अधि० की धारा 91 में प्रकरण दर्ज किया गया जो कानूनी प्रोविजन के अनुसार धारा 91 (2) भू–राजस्व अधि० में दर्ज कर नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट को भू–राजस्व अधि० की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया है, जबकि पश्चातवृति अतिक्रमण के लिए धारा 91 (3) के तहत नोटिस जारी करना एवं उक्त नोटिस का हवाला अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है। जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई नोटिस नहीं है तथा धारा 91 (3) के प्रोविजन्स में न्यायालय को अपने आदेश स्थगन आदेश जारी करने व अपील करने का अवसर दिये जाने का प्रावधान है एवं प्रार्थी की सजा निलम्बित करने का प्रावधान है। पश्चातवृती अतिक्रमण के संबंध में नोटिस जारी करने का धारा 91(3–क) में प्रावधान है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस मामले में आज्ञापक प्रावधानों की अवहैलना की है। अपीलांट द्वारा जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया तथा आगामी पेशी पत्रावली पर दिनांक 24.12.2021 नियत की गई परन्तु उक्त दिनांक को न्यायालय द्वारा कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। दिनांक 24.12.2021 को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहा। दिनांक [illegible]21 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक के बयान एक पक्षीय बिना [illegible]ई के लेखबद्ध कर शामिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली किये गये तथा मामले में बिना बहस सुने ही दिनांक 17.1.2022 को न्यायालय की आदेशिका के अनुसार निर्णय कर दिया गया।

पटवारी हल्का मोई सद्दा द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.11.2021 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा पश्चातवृर्ती अतिक्रमण में 0.0400 हैक्टर भूमि पर तारबन्दी (कब्जा चना काश्त) की रिपोर्ट की है।

उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने भूमि खसरा नंबर 348 के रकबा 0.400 हैक्टर भूमि दर्ज की है। इस प्रकार पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कोई फसल काश्त की हुई है जबकि अपीलान्ट द्वारा मौके पर कोई काश्त की हुई नहीं थी। भू अभिलेख निरीक्षक ने अपने बयान में दिनांक 17.8.2021 को खड़ी फसल को जब्तकर कब्जे में लेना बताया है जबकि जप्ती की कार्यवाही दिनांक 19.8.2021 को की गई थी। भू अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी के बयानों में काफी विरोधाभाष है। पीठासीन अधिकारी ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही सेवानिवृत होने के बाद बेक डेट में प्रीज्यूडिस होकर बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने लिखित बहस में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपनायी गई विधिक प्रक्रिया, निर्णय एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट आदि को लेकर कई तकनीकी एतराज प्रकट करते हुये, अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.01.2022 व दिनांक 07.02.2022 को निरस्त किया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस सारहीन एवं प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से परे कलेरिकल तकनीकी कमियों पर आपति प्रकट की है। विद्धान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने लिखित बहस में ग्राम कुठानियां स्थित भूमि खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 नाला की 0.038 है0 भूमि पर अपीलांट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। प्रकरण में वास्तविक तथ्य यह है कि–''अपीलाट्स द्वारा सम्वत 2078 की खरीफ फसल के दौरान अवैध रूप से अतिक्रमण कर ग्राम कुठानियां स्थित भूमि खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 नाला की 0.040 है0 भूमि पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा आदेश बेदखली पारित किये गये थे, जिसकी पालना में अपीलांट को अतिक्रमित रकबे से भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कार्यवाही सम्पादित की गई। जिसकी प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। पटवारी हल्का मोईसद्दा द्वारा पुनः इस प्रकरण दिनांक 29.11.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम कुठानिया के खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै.मु.नाला के 0.0400 हैक्टर रकबे पर तारबन्दी व चने की फसल कर अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाकर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब नोटिस में यह स्वीकारोक्ति भी की गई है कि वह फसल काटने के बाद तारबंदी हटा लेगा। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना ने विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट के जवाब नोटिस,बयानात हल्का पटवारी मोईसद्दा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक भैसावताखुर्द व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने एवं आदतन अतिचारी की श्रेणी में पाये जाने पर निर्णय दिनांक 17.01.2002 पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से साबित है कि अपीलांट को ग्राम कुठानियां स्थित भूमि खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 नाला की 0.040 है0 भूमि पर अतिक्रमी मानकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के मुकदमा संख्या 52/2020 अं0 धारा 91 एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांक 24.8.2021 के द्वारा अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है जिसकी पालना में दिनांक 23.9.2021 को फसल निलामी कार्यवाही की जाकर फर्द तैयार की गई है तथा मौका रिपोर्ट बेदखली के अनुसार दिनांक 14.10.2021 को पुलिस जाब्ते के साथ गैर मुमकिन नाला को मौके पर खाली करवा[illegible] अपीलांट को बेदखल किया गया है। उसके बाद अपीलांट द्वारा ग्राम कुठानि[illegible] स्थित भूमि खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 नाला की 0.0300 है0 भूमि पर अतिक्रमण कर पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा करने पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 29.11.2021 को तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण संख्या 258/2021 पुनः दर्ज किया जाकर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण में अपीलांट मय अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपथित हुआ है तथा अपनी ओर से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया है जिसमें पूर्व में किये गये अतिक्रमण से उसे बेदखल किये जाने एवं न्यायालय के आदेश पालना होने की बात भी स्वयं ने स्वीकार की है। प्रकरण में हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की लिखित साक्ष्य हुई है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर उसका कब्जा /अतिक्रमण वैध हो इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि नदी/नाला की भूमि है जो विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। पत्रावली के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट के जवाब नोटिस, बयानात हल्का पटवारी मोईसद्दा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक भैसावताखुर्द व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने एवं आदतन अतिचारी की श्रेणी में पाये जाने पर निर्णय दिनांक 17.01.2002 पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2022 उनवानी सरकार बनाम हजारीराम मु0नं0 258/2021 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested